रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2000/ ज्येष्ठ 11, 1922

No. 373] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2000/JYAISTHA 11, 1922

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना संख्या 18 (आर.ई.-2000)/1997—2002

नई दिल्ली, 1 जून, 2000

का. आ. 538(अ).—निर्यात तथा आयात नीति, 1997—2002 (31-3-2000 तक किए गए संशोधन शामिल) के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, निर्यात तथा आयात नीति 1997—2002 (31-3-2000 तक किए गए संशोधन शामिल) में निम्नलिखित संशोधन करती है:

1. पैराग्राफ 4.23 को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः
पैराग्राफ 3.54 में यथा-परिभाषित "तीसरी पार्टी निर्यात" की अनुमति नीति के अधीन होगी ।

2. पैराग्राफ 7.4 (1) के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगाः-
तथापि, सियोन के संबंध के में डी एफ आरसी जारी नहीं किया जाएगा जो प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-2) में "वास्तविक उपयोगकर्त्ता" की शर्तों के अधीन हैं ।

3. पैराग्राफ 9.29 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगाः-
ई.ओ.यू./ई पी जेड/एस ई जेड के कार्य निष्पादन की निगरानी प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 16(ड.) में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

4. पैराग्राफ 9.40 के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:
समिति यह भी देखेगी कि साने/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों तथा वस्तुओं पर छीजन/विनिर्माण के दौरान नुकसान प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 8.28 में निर्धारित समस्त प्रतिशत के अन्तर्गत हो । अधिक छीजन/विनिर्माण के दौरान नुकसान अधिक होने की स्थिति में समिति इसके औचित्य की जांच करेगी ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फा.सं. 01/94/180/एक्जिम नीति/ए एम 01/पी सी-4]
एन.एल. लखनपाल, महानिदेशक,
विदेश व्यापार तथा पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

Notification No. 18 (RE-2000)/1997—2002

New Delhi, the 1st June, 2000

S.O. 538(E).—In exercise of powers conferred by Section-5 of the Foreign Trade **(Development and Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) read with paragraph 1.3 of Export and Import Policy, 1997-2002 (incorporating amendments made upto 31.03.2000), the Central Government hereby makes following amendment in the Export and Import Policy1997-2002 (incorporating amendments made upto 31.03.2000):-**

1. Paragraph 4.23 shall be amended to read as under :

"Third party exports", as defined in Paragraph 3.54, shall be allowed under the Policy.

2. The following shall be added at the end of the Paragraph 7.4 (i)-

However, DFRC shall not be issued in respect of SIONs which are subject to "actual user" condition in the Hand book of Procedures (Vol-II).

3. The following shall be added at the end of the Paragraph 9.29:

The performance of EOU/EPZ/SEZ units will be monitored as per the guidelines given in Appendix-16(E) of Handbook (Vol-1).

4. The following shall be added at the end of paragraph 9.40:

The committee will also see that the wastage/manufacturing loss on gold/silver/platinum jewellery and articles are within the overall percentage prescribed in paragraph 8.28 of Handbook (Vol.1). In case of higher wastage/manufacturing loss, the Committee should satisfy itself of the reasonableness of the same.

This issues in Public Interest.

[F. No. 01/94/180/Exim. Pol./AM01/PC-IV]
N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade
and Ex-officio, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.